न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला (बून्दी)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती मनस्वी नरेश R.A.S

मिसल नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
194/दावा/2024	01.08.2024	30.01.2026

1. सत्यप्रकाश मीणा आयु 17 वर्ष पुत्र राधेश्याम जाति मीना निवासी ग्राम तीरथ नाबालिग जर्ये नेसर्गिक संरक्षक माता इन्द्रेश कुमारी आयु 42 वर्ष पत्नी राधेश्याम मीना जाति मीना निवासी ग्राम तीरथ तहसील तालेडा जिला बून्दी
2. प्रियंका मीणा आयु 19 वर्ष पुत्री राधेश्याम जाति मीना निवासी ग्राम तीरथ तहसील तालेडा जिला बून्दी
3. इन्द्रेश कुमारी आयु 42 वर्ष पत्नी राधेश्याम मीना जाति मीना निवासी ग्राम तीरथ तहसील तालेडा जिला बून्दी।

वादीगण

बनाम

1. राधेश्याम आयु 47 वर्ष पुत्र बद्री जाति मीना निवासी ग्राम तीरथ तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)
2. महावीर आयु बालिग पुत्र बद्री ,जाति मीना निवासी ग्राम तीरथ तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)
3. चन्द्रकला पत्नी छोटूलाल पुत्री बद्री जाति मीना निवासी ग्राम तीरथ तहसील तालेडा हाल निवासी ग्राम चितावा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी (राज0)
4. सन्तरा पत्नी बृजगोपाल पुत्री बद्री जाति मीना निवासी ग्राम तीरथ तहसील तालेडा हाल निवासी ग्राम चितावा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी (राज0)
5. सोसर बाई पत्नी स्व0 बद्री जाति मीना निवासी ग्राम तीरथ तहसील तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)
6. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार महोदय तालेड़ा ,जिला बून्दी।
7. उप पंजीयक महोदय तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,88, 89 व 188 आरटी एक्ट

उपस्थित अधिवक्ता

1. अभिभाषक वादीगण – श्री ग्यारसीलाल गुर्जर
2. अभिभाषक प्रतिवादीगण–

:: निर्णय ::

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 एवं 89 आर.टी.एक्ट के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि खतोनी संख्या नई 429 पुरानी 270 की कृषि भूमि खसरा संख्या 2227/668, रकबा 0.0162 किस्म गैर मू.खलियान, खसरा संख्या 2679/1872 रकबा 0.5989 हैक्टेयर किस्म नहरी II, खसरा संख्या 2739/2002 रकबा 0.2428 हिक्टेयर किस्म नहरी II, खसरा सं. 554 रकबा 0.0243 हैक्टेयर किस्म नहरी II, खसरा सं. 680 रकबा 0.0243 हैक्टेयर किस्म नहरी II, कुल किता–5 कुल रकबा 0.9065 हैक्टेयर वाके ग्राम तीरथ पटवार हल्का तीरथ, भू0 अभि. नि.क्षेत्र देहित तहसील तालेडा, जिला बून्दी में स्थित है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 में वादीगण संख्या 1 व 2 के पिता व वादीनी सं0 3 के पति प्रतिवादी संख्या 1 राधेश्याम पुत्र बद्री हिस्सा 1/5 निहित है । जो प्रतिवादी सं0 1 राधेश्याम को विरासत में प्राप्त हुई है। वादीगण सं0 1 व 2 प्रतिवादी सं0 1 के पुत्र व पुत्री एवं वादी सं0 3 प्रतिवादी सं0 1 की विवाहिता धर्मपत्नी है। जिनका प्रत्येक का प्रतिवादी सं0 1 स्वयं के हिस्सा 1/5 में प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा सम्पूर्ण कृषिं भूमि में 1/20 1/20 हिस्सा निहित है एवं प्रतिवादीगण सख्या 2 लगायत 5 प्रत्येक का उक्त कृषि भूमि में 1/5–1/5 हिस्सा निहित है। उक्त कृषि भूमि वादीगण की पुश्तेनी कृषि भूमि है, जो प्रतिवादी सं0 1 से पूर्व वादीगण के दादा जी बद्री के खाते में दर्ज थी। इसलिए वादीगण का उक्त कृषि भूमि में जन्म से ही हक अधिकार निहित है। वादीगण संख्या 1 व 2 प्रतिवादी सं0 1 के जाईन्दा पुत्र व पुत्री एवं वादी सं0 3 पत्नी है। प्रतिवादी संख्या 1 शराबी प्रवृति के आदी व्यक्ति है अपनी नशे की लत के कारण वादीगण समूचित रूप से भरण पोषण नही कर रहे है तथा अपने गलत शोक के खातिर उक्त वाद विषयक पैत्रिक

किस्म ... पटवार हल्का तीरथ, भू.अभि.नि.क्षेत्र ... क्रमशः

कृषि भूमि में निहित अपने हिस्से की भूमि को अन्य व्यक्तियो को रहन, बैचान व हस्तांतरितं कर खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। इस हेतु वे खरीद के इच्छुक व्यक्तियो को कृषि भूमि दिखाने के लिए लाते है । वादीगण के जीविकोपार्जन का एक मात्र साधन उक्त कृषि भूमि ही है। जिसके कारण वादीगण प्रतिवादी सं0 1 के निहित हिस्से की कृषि भूमि को अपने खातेदारी में दर्ज करवाकर उसकी घोषणा करवाना चाहते है। जिसका वादीगण को कानूनी हक अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी सं0 1 को उक्त कृषि भूमि को खुर्द बुर्द, रहन, बय करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। वाद पत्र की चरण क्रम 1 में वर्णित पुश्तेनी कृषि भूमि संयुक्त खाते में दर्ज है, जिसका पक्षकारान के मध्य विधिवत रूप से बटवार० नही हुआ है। जिसके कारण पक्षकारान के मध्य लगान-पिलाई जमा करवाने एवं कृषि भूमि का विकास करने हेतु बैंक से कृषि ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वादीगण उक्त कृषि भूमि का विधिवत रुप से बट्वारा करवाकर प्रतिवादी सं0 1 के निहित हिस्सा 1/5 में निहित अपने अपने हिस्से में आने वाली कृषि भूमि को पृथक राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में दर्ज करवाना चाहते है। वादीगण ने दिनांक 25-07-2024 को प्रतिवादी संख्या 1 से वाद पत्र के चरण क्रम 1 में वर्णित कृषि भूमि में वादीगण का नाम बतौर खातेदारी में दर्ज करवाने व उक्त कृषि भूमि का विधिवत रूप से बटवारा करवाकर पृथक राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादी सं0 1 ने बटवारे करने व वादीगण का नाम खातेदारी में दर्ज करवाने से मना कर दिया है एवं वादीगण को उक्त कृषि भूमि को रहन, बैचान व अन्तरण करने की धमकी दी। यही वाद कारण है जो निरन्तर पैदा हो रहा है। वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि वादीगण की पैत्रिक कृषि भूमि है जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा 1/5 में वादीगण प्रत्येक का सम्पूर्ण भूमि में हिस्सा 1/20-1/24 निहित है। इस अधिकार को किसी भी प्रकार से समाप्त नही किया जा सकता है। वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह वाद पत्र के चरण क्रम 1 में वर्णित पैत्रिक कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के निहित हिस्सा 1/5 में से वादीगण सं. 1 व 2 के पुत्र व पुत्री, होने व वादीनी सं0 3 के विवाहिता पत्नी होने से हिस्सा 1/20-1/20 के सहखातेदार घोषित करवायें एवं इसी अनुरूप उक्त कृषि भूमि का विधिवत रूप से बटवार० करवाकर पृथक राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में स्वतंत्र रूप से दर्ज करवाये तथा प्रतिवादी संख्या 1 को जर्ये स्थायी निषधाज्ञा से पाबन्द करवाये कि वह वाद पत्र के चरण क्रम 1 में वर्णित कृषि भूमि में निहित वादीगण के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा नहीं करे, वादीगण को उक्त कृषि भूमि का उपयोग-उपभोग करने, फसल बोने फसल काट्ने मे कोई अवरोध पैदा नही करे एवं प्रतिवादी सं0 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वाद विषयक भूमि के राजस्व रिकोर्ड में अपना नाम दर्ज होने का नाजायज रूप से लाभ उठाने की नियत को किसी को भी बैचान व रहन व हस्तान्तरित नही करे एवं उक्त कृत्य अपने प्रतिनिधियो से भी नही करावे, एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को भी स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये कि वह उक्त कृषि भूमि के सम्बंध में प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत किसी भी हस्तांतरित विलेख का पंजीयन नही करे व राजस्व रिकोर्ड में परिवर्तन नही करे। यदि प्रतिवादी सं0 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो प्रतिवादी सं0 1 जबरन ताकत के बल पर वाद पत्र के चरण सं0 1 में वर्णित भूमि पर कब्जा कर वादीगण को बेदखल कर देगे व प्रतिवादी सं0 1 भूमि को रहन, बैचान कर देगां। जिससे वादीगण को ऐसी अपूर्णनीय क्षति होगी। जिसकी पुर्ति किसी प्रकार सम्भव नही हो सकेगी। उक्त वाद पत्र में राजस्थान व उप पंजीयक महोदय व राजस्थान राज्य के विरूद्ध भी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा चाही गयी है तथा वाद अत्यावश्यक प्रकृति का होने. से वाद पूर्व निर्धारित अवधि का नोटिस दिया जाना सम्भव नही है। ऐसी स्थिति में राजस्थान राज्य को दफा 80 जा0दी0 का नोटिस दिये बिना वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। नोटिस देकर दो माह तक इन्तजार कर दावा प्रस्तुत करने पर प्रतिवादी सं0 1 अपने नाजायज उद्देश्य में सफल हो जावेगा एवं वह उक्त कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियो को बैचान कर देगा। जिससे वाद हेतुक ही समाप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में यह वाद नोटिस के अभाव में प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसकी अनुमति के लिए पृथक से अन्तर्गत धारा 80(2) जा.दी. का प्रार्थना मय शपथ पत्र पेश है। वाद कारण उत्पत्ति दिनांक 25-7-2024 को वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं. 01 से उसके हिस्से में निहित कृषि भूमि को वादीगण के खाते में दर्ज करवाने व बटवारा करवाकर भूमि वादीगण के नाम पृथक राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करवाने की कहने व प्रतिवादी सं0 1 द्वारा भूमि देने से इन्कार करने से पैदा हो रहा है। वाद कारण उत्पत्ति से वाद अवधि मध्य प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 वाद विषयक भूमि के सहखातेदार होने से उन्हे प्रतिवादीगण बनाये गये है। वाद पत्र के चरण क्रम 1 में वर्णित पैत्रिक कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के निहिंत हिस्सा 1/5 में से वादीगण सं0 1 व 2 के पुत्र व पुत्री होने व वादीनी सं0 3 के विवाहिता पत्नी होने से हिस्सा 1/20-1/20 के सहखातेदार घोषित किया जावे एवं इसी अनुरूप उक्त कृषि भूमि का विधिवत रूप से बटवारों किया जाकर उक्त कृषि भूमि को वादीगण के

नाम पृथक राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में स्वतंत्र रूप से दर्ज की जावे। प्रतिवादी सख्या 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वाद पत्र के चरण क्रम 1 में वर्णित कृषि भूमि में निहित वादीगण के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा नही करे। वादीगण को उक्त कृषि भूमि का उपयोग- उपभोग करने, फसल बोने फसल काटने में कोई अवरोध पैदा नही करे एवं प्रतिवादी सं0 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वाद विषयक भूमि के राजस्व रिकोर्ड मे अपना नाम दर्ज होने का नाजायज रूप से लाभ उठाने की नियत को किसी को भी बैचान व रहन व हस्तान्तरित नही करे एवं उक्त कृत्य अपने प्रतिनिधियो से भी नही करावे एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को भी स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह उक्त कृषि भूमि के सम्बध में प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत किसी भी हस्तांतरित विलेख का पंजीयन नहीं करे व राजस्व रिकोर्ड में परिवर्तन नही करे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया जावे।

प्रतिवादीगण को बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

वकील वादी द्वारा साक्ष्यवादी प्रस्तुत नही कर सीधे बहस की गई।

बहस वकील वादी सूनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद पत्र में वर्णित पैत्रिक कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के निहिंत हिस्सा 1/5 में से वादीगण सं0 1 व 2 के पुत्र व पुत्री होने व वादीनी सं0 3 के विवाहिता पत्नी होने से हिस्सा 1/20-1/20 के सहखातेदार घोषित किया जावे एवं इसी अनुरूप उक्त कृषि भूमि का विधिवत रूप से बटंवारा किया जाकर उक्त कृषि भूमि को वादीगण के नाम पृथक राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी में स्वतंत्र रूप से दर्ज की जावे। प्रतिवादी सख्या 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वाद पत्र के चरण क्रम 1 में वर्णित कृषि भूमि में निहित वादीगण के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा नही करे। वादीगण को उक्त कृषि भूमि का उपयोग- उपभोग करने, फसल बोने फसल काटने में कोई अवरोध पैदा नही करे एवं प्रतिवादी सं0 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वाद विषयक भूमि के राजस्व रिकोर्ड मे अपना नाम दर्ज होने का नाजायज रूप से लाभ उठाने की नियत को किसी को भी बैचान व रहन व हस्तान्तरित नही करे एवं उक्त कृत्य अपने प्रतिनिधियो से भी नही करावे एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को भी स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह उक्त कृषि भूमि के सम्बध में प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत किसी भी हस्तांतरित विलेख का पंजीयन नहीं करे व राजस्व रिकोर्ड में परिवर्तन नही करे।

बहस उभयपक्ष सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादीगण वाद वर्णित आराजी के रेकार्डेड खातेदार नही है वरन प्रतिवादी क्रम 1 के क्रमशः पुत्र,पुत्री एवं पत्नी है। उक्त वाद वर्णित आराजी में प्रतिवादी सं. 1 खातेदार है एवं काबिज काश्त है। किसी भी खातेदार के खातेदारी अधिकार जब तक परिवर्तित/हस्तान्तरित नही किये जा सकते जब तक कि खातेदार के खातेदारी अधिकारो को हस्तान्तरित एवं परिवर्तित करने बाबत कोई विक्रय विलेख, दानपत्र, हकत्याग, वसीयत इत्यादि खातेदार द्वारा निष्पादित नही की गई हो। वादीगण वाद वर्णित आराजी में अपने पिता/पति से उनके जीवनकाल में ही पैतृक सम्पति के आधार पर अधिकार घोषणा करवाना चाहते है। किन्तु वादीगण द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त करने बाबत ऐसा कोई तथ्य/दस्तावेज पेश नही किया जो वादीगण को वादवर्णित आराजी में अपने पिता की भूमि में उनके जीवनकाल में ही अधिकार प्रदत्त करे। अतः वाद वादी दस्तावेज एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,89,53,188 में पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 30.1.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा जिला बून्दी